राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40(18) ग्रावि/नरेगा/तकनीकी प्रकरण/पार्ट–II/2010 जयपुर, दिनांक 3 NOV 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित होने वाली ग्रेवल सड़कों में प्रतिवर्ष होने वाले सम्भावित क्षरण बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न जिलों से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित होने वाली ग्रेवल सड़कों में प्रतिवर्ष होने वाले सम्भावित क्षरण के लिए मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि ग्रेवल सड़कों पर प्रतिवर्ष क्षरण साधारण परिस्थितियों में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत (अधिकतम), कुटी हुई ग्रेवल की मोटाई तक (Compacted Thickness) का हो सकता है जो कि भौगोलिक परिस्थितियों, यातायात, वर्षा आदि पर निर्भर करता हैं।

अतः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित ग्रेवल सडकों पर प्रतिवर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत कुटी हुई ग्रेवल की मोटाई तक (Compacted Thickness) का क्षरण अनुमत किया जा सकता है जिसका आंकलन/निर्णय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता द्वारा किया जावेगा।

क्षरण की गणना ग्रेवल सडक कार्य के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की दिनांक से की जावे। कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के बिन्दु संख्या 17.3, 17.4 एवं 17.5 के प्रावधानानुसार परिशिष्ट 17 में अंकित प्रारूप में सक्षम स्तर से जारी किया जायेगा जिसमें क्रमांक व दिनांक आवश्यक रूप से अंकित की जावे। उक्त दिनांक से ही प्रतिवर्ष क्षरण की गणना की जावेगी।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करावें।

भवदीय,

(सी. एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ई.जी.एस.।
4. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. मुख्य अभियन्ता(एस एस), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेकब रोड़, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियंता (अभियांन्त्रिकी), ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद, समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस